न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर

पीठासीन अधिकारी :– सुभाष चन्द्र आर.ए.एस.

मैनुअल प्र.सं. : 29 / 2024

जीसीएमएस : 2024 / 262

01. रामकुमार पुत्र श्री जगराम जाति जाट साकिन कीकरवाली तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर राज.।

–प्रार्थी

बनाम

1. देवीलाल पुत्र श्री तेजाराम जाति जाट साकिन **कीकरवाली तहसील रायसिंहनगर** जिला श्रीगंगानगर राज.।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार **राजस्व रायसिंहनगर।** **–अप्रार्थीगण**

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251क **राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955**

तारीख रजू:– 16.08.2024

उपस्थित अधिवक्ता:–

1. श्री कृष्णलाल लदोईया प्रार्थी अधि.।
2. श्री कर्ण जोशी अप्रार्थी अधि.।

—निर्णय— **दिनांक 15.05.2025**

1. संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी **द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा** 251 क की उपधारा (2) **राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के** तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मेरी वाके चक 63 आर. बी. बी. तहसील रायसिंहनगर का खाता संख्या 74/61 मुरब्बा नं. 6 पं.नं. 183/267 के कि.नं. 11/1/0.215, 17/1/0.114, 18 ता 23 सालम–सालम इस प्रकार कुल 1.847 है. नहरी बारानी खातेदारी कृषि भूमि में पहुँचने के प्रयोजन के लिए अप्रार्थी सं. 1 के नाम की खातेदारी भूमि वाके चक 63 आरबी बी तह. रायसिंहनगर का खाता संख्या 34/23 मु.नं. 6 पं.नं. 183/267 के कि.नं. 1/0.228, 2/0.228, 9–10 सालम–सालम, 11/2 में 0.038 है. व 12 सालम इस प्रकार कुल 1.253 है. नहरी–बारानी भूमि के कि.नं. 1 ता 5 में स्वीकृतशुदा चल रहे रास्ता के कि.नं. 1 व 10 में प्रत्येक में पश्चिमी पासा पत्थर लाईन पर 1–1/2–1–1/2 बिस्वा कुल 3 बिस्वा भूमि में रास्ता स्वीकृत करवाने हेतु आवेदन पेश किया है। अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ प्रस्तुत कर निवेदन है कि मुझ प्रार्थी को मेरी/हमारी जोत वाके चक 63 आर. बी. बी. तहसील रायसिंहनगर का खाता संख्या 74/61 मुरब्बा नं. 6 पं.नं. 183/267 के कि.नं. 11/1/0.215, 17/1/0.114, 18 ता 23 सालम–सालम इस प्रकार कुल 1.847 है. **नहरी बारानी खातेदारी कृषि** भूमि को काश्त करने, फसल लाने, कृषि यन्त्र व ऊंट–गाड़ी व ट्रेक्टर आदि लाने ले जाने व आवागमन के प्रयोजन के लिए अप्रार्थी संख्या 1 के नाम की खातेदारी भूमि वाके [illegible] आरबीबी तहसील रायसिंहनगर का खाता संख्या 34/[illegible] नं. 6 [illegible] 183/267 के कि. नं. 1/0.228, 2/0.228, 9–10 सालम–सा[illegible] 11/2 में 0.038 है. व 12 सालम, इस प्र[illegible] बारानी भूमि के कि.नं. 1 ता 5 मे स्वीकृतशु[illegible] रास्ता [illegible] 1 व 10 में प्रत्येक में पश्चिमी पासा पत्थर लाइन पर 1–1/2–1–1/2 बिस्वा कुल 3 बिस्वा भूमि में रास्ता खोलने/स्वीकृत करने की कृपा [illegible]

Signature Not Verified

Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2025.05.22 13:24:25 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

Scanned with OKEN Scanner

2. प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण जरिये रजि. नोटिस तलब किया गया एवं तहसीलदार रायसिंहनगर से मौका जांच रिपोर्ट हेतु पत्र जारी किया गया है। अप्रार्थी सं. 1 की तरफ से श्री कर्ण जोशी अधिवक्ता ने जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया।जवाब प्रार्थना पत्र में कथन किया है कि प्रार्थी/ आवेदक का आवेदन पत्र विधिक प्रावधनों व निर्धारित प्रारूप के अनुसार पेश ना होने पर प्रार्थना पत्र नही के कारण काबिल निरस्ती है। आवेदक द्वारा चाहा गया रास्ता कतई सरल, सुगम, निकटतम व सुविधा जनक नहीं है चूकि मिन अप्रार्थी की भूमि के कि.नं. 1 में पक्का नाका व ट्यूबवेल कनेक्शान के लिये विद्युत निगम द्वारा खम्बे लगाकर डी.पी. स्थापित की हुई होने से रास्ता स्वीकृत नहीं किया जा सकता है इसके अलावा आवेदक अपनी भूमि में आवागमन के लिये वैकल्पिक रास्ता भी उपलब्ध है मगर पत्रावली पर मौजूद रिपोर्ट वास्तविक मौका मुआयाना के विपरीत है इसलिये न्यायहित में मौका की वास्तविक रिपोर्ट पुनः मंगवाया जाना न्यायहित में अत्यन्त आवश्यक एवं न्यायोचित है अन्यथा मिन अप्रार्थी के विधिक अधिकारों का हनन होगा, गैरइंसाफी होगी व अपूर्णिय क्षति होगी। इसलिये प्रार्थना पत्र आवेदक काबिल निरस्ती के है। माननीय न्यायालय आवेदक को प्रस्तावित रास्ता के अलावा अन्य कोई विकल्प नहीं पाये जाने की दशा में मिन अप्रार्थी को मुआवजा के तोर पर भूमि के बदले मिन अप्रार्थी की भूमि के चिपते भूमि दिलया जाना आवश्यक है डी.एल.सी. दर पर उतनी भूमि नि अप्रार्थी को मिलना संभव नहीं है। अप्रार्थी से अन्य कारण से मनमुटाव व रंजिश होने से नाहक हेरान–परेशान करने के लिये आवेदन पेश किया है जो काबिल निरस्ती के है। अतः जवाब आवेदन मय हल्फनामां पेश कर निवेदन है कि आवेदन आवेदक स्वीकार फरमाया जाकर आवेदन आवेदक खारिज फरमाया जावे।

3. तहसीलदार रायसिंहनगर ने अपने पत्र क्रमांक राजस्व/2024/2133 दिनांक 22.11.2024 से अवगत करवाया है कि मुताबिक रिपोर्ट प्रार्थी के नाम वाके चक 63 आरबी बी. के खाता संख्या 74 पं.नं. 183/267 मु. नं. 6 के कि.नं. 11/1/0.215, 17/1/0.114, 18 ता 22/1.265, 23/0.253, कुल 1.847 है. बारानी भूमि रामकुमार पुत्र जगराज जाति जाट साकिन कीकरवाली खातेदार दज रिकार्ड है। अप्रार्थी चक 63 आरबी बी के पं.नं. 183/267 मु.नं. 6 के कि.नं. 1–2–9–10–11/2, 12 की कुल 1.253 है. बारानी भूमि देवीलाल पुत्र तेजाराम जाति जाट साकिन कीकरवाली खातेदार दर्ज रिकार्ड है। अप्रार्थी के नाम चक 63 आरबी बी के पं.न. 118/275 मु.नं. 11 की 1 ता 25 की 6.325 है. नहरी/बारानी मय खाला भूमि जंगीरसिंह पुत्र दीवानसिंह जाति जटसिख साकिन देह के नाम खातेदार दर्ज रिकार्ड है। प्रार्थी ने अपने रकबे में आवागमन हेतु मु.नं. 6 के कि.नं. 1 व 10 प्रत्येक में 1–1/2–1–1/2 बिस्वा पश्चिमी पास रास्ता की मांग की है। अतः प्रार्थी को अपने रकबे में आवागमन हेतु 63 आरबी बी के मु.नं. 6 कि.नं. 1 ता 5 के उत्तरी पासे में चल रहे स्वीकृतशुदा रास्ता से आगे इसी मुरब्बा के कि.नं. 1 व 10 प्रत्येक में 0.025 है कुल 0.050 है. रास्ता प्रस्तावित है। उक्त प्रस्तावति रास्ता स्वीकृतशुदा रास्ता से अन्य निकटतम रास्ता नहीं है उक्त प्रस्तावित रास्ता स्वीकृत किया जाना उचित है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2025.05.22 13:24:25 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

4. बहस वकील उभयपक्ष की सुनी गयी। वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यो को दौराया कर चाहा गया रास्ता स्वीकृत किये जाने हेतु निवेदन किया। अप्रार्थी अधिवक्ता ने अपने जवाव प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दौहराते कथन किया कि अगर प्रार्थी को अपनी जोत में आने–जाने के लिए कोई अन्य रास्ता नहीं है तो अप्रार्थी रास्ते में आने वाली भूमि के बदले प्रार्थी से चिपती भूमि दिलाई जावे तो प्रार्थी अप्रार्थी रास्ता देने के लिए अपनी सहमति देता

5. हमने विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनकर व पढकर उस पर गौर किया। प्रार्थना पत्र पर तहसीलदार रायसिंहनगर द्वारा प्रेषित रिपोर्ट, भू–अभिलेख निरीक्षक एंव पटवारी हल्का की संयुक्त जॉच रिपोर्ट, फर्द मौका एवं उस पर प्रस्तावित नजरी नक्शा का अवलोकन करते हुए विधिक प्रावधानों पर मनन किया। भू–अभिलेख निरीक्षक एंव पटवारी हल्का की संयुक्त जांच रिपोर्ट एंव फर्द मौका एंव राजस्व रिकॉर्ड से यह स्पष्ट है की प्रार्थी को चक 63 आरबीबी के मु.नं. 6 कि.नं. 1 ता 5 के उत्तरी पासा में चल रहे स्वीकृतशुद्वा रास्ता से आगे इसी मुरब्बा के कि.नं. 1 व 10 प्रत्येक में 0.025 है. कुल 0.050 है. रास्ता स्वीकृत किया जाना उचित है। प्रार्थी द्वारा चाहा गया रास्ता आत्यन्तिक आवश्यकता की श्रेणी में है। प्रार्थी के पास इसके अलावा अपनी जोत में आने–जाने के लिए कोई रास्ता भी नहीं है। प्रार्थी एवं अप्रार्थी रास्ता में आने वाली भूमि के बदले भूमि देने हेतु सहमत है इसलिए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 251 क आरटीएक्ट के तहत न्यायहित में स्वीकार किया जाना उचित हैं।

–:आदेश:–

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण अन्तर्गत धारा 251 क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 बखूबी साबित होने से स्वीकार किया जाकर वाके चक 63 आरबी बी के खाता संख्या 34/23 पं.नं. 183/267 मु.नं. 6 के कि.नं. 1 ता 5 के उत्तरी पासा मे चल रहे से आगे इसी मुरब्बा के कि.नं. 1 व 10 प्रत्येक में 0.025 है. बारानी भूमि में कुल 0.050 है. गैरमुमकिन रास्ता दर्ज किये जाने के आदेश दिए जाते है। अतः तहसीलदार रायसिंहनगर उक्त रास्ते में आने वाली भूमि के बदले प्रार्थी के खाता संख्या 74/61 के मु.नं. 6 के कि.नं. 11 में से कुल 0.050 है. बारानी भूमि कम करते हुए अप्रार्थी के नाम भूमि दर्ज करे । ऐसा आदेश तहसीलदार रायसिंहनगर के नाम जारी हो। निर्णय की प्रति तहसीलदार रायसिंहनगर को पालनार्थ प्रेषित हो। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्वर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस)}
उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर
जिला श्रीगंगानगर,राजस्थान

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2025.05.22 13:24:25 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय आज दिनांक 15.05.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले ईजलास सुनाया गया।

{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस)}
उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर
जिला श्रीगंगानगर,राजस्थान

Scanned with OKEN Scanner